

अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, जिला-उदयपुर

पीठासीन अधिकारी: श्री रमेश चन्द्र बहेडिया, R.A.S

राजस्व वाद संख्या : 97/25 (वाद)

GCMS NO: 2025/305

अनवान

1. श्री सुरेश बरोर पिता सत्यनारायण जी जाति माहेश्वरी निवासी हिरणमंगरी सेक्टर न. 4 मनवा खेडा उदयपुर तहसील गिर्वा जिला उदयपुर राज.।

.....वादी

बनाम

1. श्री राजेन्द्र सहलोट पुत्र पारसमल जी सहलोट जी सहलोट जी जाति जैन निवासी गिरनार टावर पोलीस स्टेशन एस.वी. दहीसर, ईस्ट मुम्बई महाराष्ट्र।
2. श्रीमती हंसा भण्डारी पत्नी सुरेशचन्द्र जी लाहोटी जाति जैन निवासी आकोला तहसील भुपालसागर जिला चित्तौडगढ राज.।
3. श्री पटवारी पटवार हल्का बरोडिया तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
4. श्री उप पंजीयक उप पंजीयन कार्यालय भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
5. श्री राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता उभय पक्षकारान की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 12.12.2025 को श्री रमेश चन्द्र बहेडिया R.A.S. सहायक कलक्टर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि मौजा अगोरिया पटवार हल्का बरोडिया तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की निम्न आराजियात का बंटवाडा निम्नानुसार अंतिम किया जाता है

क्र.सं.	खातेदार का नाम	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1	सुरेश बरोर पुत्र सत्यनारायण हिस्सा पूर्ण जाति माहेश्वरी सा. उदयपुर खातेदार	1905/1	0.3206	माल प्र.	2.88
	योग	किता 01	0.3206	-	2.88
2.	राजेन्द्र सहलोट पुत्र पारसमल सहलोट हिस्सा 1/2 जाति जैन सा. मुम्बई महाराष्ट्र खातेदार, हंसा भण्डारी पत्नी सुरेशचन्द्र लाहोटी हिस्सा 1/2 जाति जैन सा. आकोला खातेदार	1905/2 1906	0.5094 1.4500	माल प्र. माल प्र.	4.59 13.05
	योग	किता 02	1.9594	-	17.64

नोट- उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। अन्तिम डिक्री अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।